gcms-2021/133

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

सरकार बनाम अज्ञात

किस्म मुकद्दमा गोवंश अधिनियम नं. 90 सन् 204

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/4	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित है। प्रकरण समाअत अदालत है। दर्ज रजिस्टर हो। थानाधिकारी पुलिस थाना डिग्गी जिला टोंक से केस डायरी तलब कर पत्रावली दिनांक 10.01.2022 को पेश हो। जिला कलेक्टर टोंक	
10/1/2022	अभिभाषक प्रार्थी उप. थानाधिकारी पुलिस थाना डिग्गी से केस डायरी प्राप्त हो चुकी है। वास्ते बहस पत्रावली दि. 2-2-2022 को पेश हो। P.O. साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है।	
2/2/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं व अभिभाषक उप. प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि F.I.R नं. 233/2021 पुलिस थाना डिग्गी में गोवंश अधिनियम में जप्त ट्रक R.J-52 G.A. 1716 का मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूँ। यह वाहन [illegible] मैंने कभी गोवंश अधि[illegible] नहीं हुआ है। अतः [illegible] ट्रक R[illegible] 1716 को प्रार्थी की सुपुर्दगी [illegible] जावे प्रार्थी सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने हेतु तैयार है। हमने प्रार्थी व अभिभाषक की बहस को सुना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं केस डायरी हल्का पत्रावली पर आये दस्तावेजों का अवलोकन किया। यदि प्रार्थी वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में मूल दस्तावेजों के साथ बीस लाख की जमानत व सुपुर्दगीनामा पेश कर देता है तो उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दे दिया जावे। चूंकि प्रार्थी अलम शेख द्वारा न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार बीस लाख की जमानत J.C.B. के कागजात जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश कर दिया है। अतः खान अधिकारी टोंक को वाहन ट्रक डम्पर एलपी 2518 सं. RJ 52 GA 1716 के मोचन आदेश (रिलीज आर्डर) जारी किये जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested